प्र०स० 162/21 [illegible] व/स [illegible]

[illegible]

3.2.22 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी [illegible] प्रार्थना पत्र [illegible] वादी [illegible] वकील [illegible] प्रार्थना पत्र [illegible] प्रार्थना पत्र [illegible] [illegible] पेश किया। [illegible] वकील वादी को [illegible] प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। [illegible] दिनांक 8.2.22 को पेश पत्रावली [illegible] हो।

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

8.2.22 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० [illegible] बहस वकील वादी सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 15.2.22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

15/2/2022 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० [illegible] वादीगण [illegible] [illegible] स्वीकार किया जाकर डिक्री [illegible] [illegible] शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण [illegible] [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई (दौसा)

E-Mail: sdo-band-daus-rj@nic.in
01430 228487

प्रकरण संख्या 162/2013
प्रकरण दायर दिनांक 29.06.2013
प्रकरण निर्णय दिनांक 18.02.2022

उनवान

1 लक्ष्मणसिंह पुत्र कवरपाल (फौत)
1/1 शिवचरण सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह जाति गुर्जर निवासी बाढ बगीची तह0 बसवा जिला दौसा
1/2 मीरा देवी पुत्री लक्ष्मणसिंह पत्नि सीताराम गुर्जर निवासी पीपली का बास तह0 बसवा जिला दौसा
1/3 अनिता देवी पुत्री लक्ष्मण सिंह पत्नि बनाराम गुर्जर निवासी पीपली का बास तह0 बसवा जिला दौसा
जयसिंह पुत्र कवरपाल जाति गुर्जर निवासी बाढबगीची तह0 बसवा जिला दौसा

—: वादीगण

बनाम

महेन्द्र कुमार पुत्र यादव चन्द जाति क्षत्रिय निवासी वार्ड नं. 3 बांदीकुई तह. बसवा जिला दौसा
हरिशचन्द्र पुत्र यादव चन्द जाति क्षत्रिय निवासी वार्ड नं. 3 बांदीकुई तह. बसवा जिला दौसा
बंशी पुत्र कौरया (मृतक)
/1 रामेश्वर पुत्र बंशी जाति गुर्जर निवासी श्यालावास कलां तहसील बसवा जिला दौसा
/2 लक्ष्मीनारायण पुत्र बंशी जाति गुर्जर निवासी श्यालावास कलां तहसील बसवा जिला दौसा
/3 ताराचंद पुत्र बंशी जाति गुर्जर निवासी श्यालावास कलां तहसील बसवा जिला दौसा
/4 हरकेश पुत्र रामफूल जाति गुर्जर निवासी श्यालावास कलां तहसील बसवा जिला दौसा
/5 हीरा पत्नि रमेश पुत्री बंशी जाति गुर्जर निवासी भाण्डारेज तह0 दौसा जिला दौसा
/6 मीरा उर्फ बाबू पत्नि लक्ष्मण पुत्री बंशी जाति गुर्जर निवासी भाण्डारेज तह0 दौसा जिला दौसा
हरगोविन्द पुत्र कौरया जाति गुर्जर निवासी श्यालावास कलां तहसील बसवा जिला दौसा
उपपंजीयक अधिकारी तहसील बसवा जिला दौसा

—: प्रतिवादीगण

"दावा उदद्योषणा इस्तकरार हक एवं हुक्म इत्तनाई दवामी"

निर्णय

वादीगण द्वारा दावा उदद्योषणा इस्तकरार हक एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी विरूद्ध प्रतिवादीगण जर्ये अभिभाषक श्री सुशील कुमार गुर्जर नवीन कुमार गुर्जर के इस आशय से प्रस्तुत किया कि खतौनी संख्या नई 67 नुरानी 56 के खं0 नं. 184/0.61,354/855/0.07,355/0.05,356/0.30,363/0.37,510/584/0.06,542/0.36,543/0.17,544/0.05,545/0.20 किता 10 रकबा 2.54 है0 ग्राम बाढ बगीची तह0 बसवा जिला दौसा प्रतिवादीगण 1,2 के नाम खातेदारी दर्ज है। लेकिन खं0नं0 542 से 545 किता 4 रकबा 0.78 है0 वादीगण व जमाने पिता अर्से दराज निरन्तर बतौर खातेदार कब्जा काश्त चले आ रहे है। संवत् 2012 मे जब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभावी हुआ तब से वादीगण पिता स्व0 कवरा छाबडी काबिज काश्त थे इस कारण जमाबंदी वन्दोवस्त में विवादित भूमि के पूर्व खसरा नं0 186/1 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा दर्ज रिकार्ड रहे है। तथा खं0नं0 559,564,569 किता 3 बीघा रबा 0.95 ग्राम बाढ बगीची प्रतिवादी 3,4 की खातेदारी में दर्ज है परन्तु खं0नं0 559 रकबा 0.44 है0 के पूर्व ख0नं0 185 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा दर्ज रिकार्ड रहे है जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभावी होने के पूर्व से ही वादीगण स्व0 पिता कवरा छाबडी की कब्जा काश्त रहे है। प्रतिवादीगण ने गुप चुप तरीके से वादीगण पिता के नाम दर्ज खातेदारी भूमि का नियमतिकरण करवा कर अपने नाम इन्द्राज करा लिया जो कानूनन अवैध शून्य है। इसलिये दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण विवादित आराजी ख0नं0 559 रकबा 0.44 एवं ख0नं0 542/0.36,543/0.17,544/0.05,545/0.20 किता 5 रकबा 1.22 है0 ग्राम बाढबगीची तह0 बसवा वादीगण जमाबंदी में जरिये इन्द्राजात दुरूस्ती फरमाई जावे तथा प्रतिवादीगण को दवामी निषेधाज्ञा से पांबद किया जाये।

वाद की ताईद में जमाबंदी नकल संवत 2068 से 2071 खाता सं. नया 48, खाता सं. 100 नया, खाता सं. 67, नक्शा ट्रेस 2045, 2000 नकल मिलान क्षेत्रफल 2052–71, नकल जमाबंदी संवत 2019, 2023 से 2026, 2012, खसरा गिरदावरी संवत 2012 संवत 2013–2020 प्रस्तुत किये शामिल पत्रावली है।

Scanned with OKEN Scanner

वादीगण वाद दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलबी की गई
प्रतिवादीगण हाजिर अदालत आये प्रतिवादी 1,2 की ओर से प्रतिवाद पत्र पेश किया कि वादग्रस्त भूमि
होना स्वीकार है। वादीगण का उपरोक्त ख. नं. पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। प्रतिवादीगण 1,
2 कब्जा काश्त खातेदार है। वादीगण के पिता कवरया छाबडी कभी भी वादग्रस्त भूमि पर काबिज नहीं
रहे हैं। प्रतिवादी 2, 3 विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार होने के कारण राजस्व रिकार्ड से उनका
नाम हटाया जाना न्यायोचित नहीं है, प्रतिवादी 1, 2 ने पुख्ता बाउण्ड्रीवाल व खामडोल बना रखी है।
वादीगण द्वारा वाद मनगढंत तथ्य अंकित कर पेश किया है जो खारिज योग्य है। प्रतिवादी सं. 3, 4 द्वारा
जवाब वाद पेश किया कि वाद जिमन नम्बर 1,2,3 अस्वीकार है। जिमन नम्बर 4 वाद पत्र में दर्ज
आराजी यान के प्रतिवादीगण 3,4 काबिज खातेदार होना स्वीकार है। वादीगण का यह कथन गलत है
कि भूमि ख.नं. 559 रकबा 0.44 है0 जिसके पूर्व ख.नं. 185 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा रहे है। पर
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभावी होने से पूर्व से ही वादीगण के पिता कवरा छाबडी पुत्र
रामनारायण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। तथा यह भी कथन गलत है कि इस कारण संवत 2012
की जमाबंदी में वादीगण पिता को खातेदार के रूप में दर्ज किया गया है। उक्त भूमि प्रतिवादीगण के
पिता कवरया पुत्र पांचू गुर्जर निवासी श्यालावास कलां की आधिपत्य खातेदारी की कृषि भूमि है जो
प्रतिवादीगण की दीगर खातेदारी ख.नं. 564,565 के साथ मोके पर मिली हुई है। प्रतिवादीगण ही
जमाबंदी में खातेदार दर्ज है। भौतिक रूप से काबिज है। आराजी ख.नं. 181 रकबा 3 बीघा 2बिस्वा से
प्रतिवादीगण कोई संबंध नही है। आराजी ख.नं. 185 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा शुरू से ही प्रतिवादीगण
के पिता के जमाने से हक खातेदारी व आधिपत्य भूमि है। वादीगण वाद खारिज योग्य है। वादीगण का
आराजी ख.नं.559 रकबा 0.44 है0 भूमि पर शुरू से आज तक कब्जा नहीं रहा है। प्रतिवादीगण का
कब्जा पिता के जमाने से चला आ रहा है।

दावा व जबाब दावा के अभिकथनों के आधार पर तनकीयात कायम की गई।

वादीगण ने वादपत्र की ताईद में जमाबंदी नकल संवत 2068–2071 खाता संख्या 48 जमाबंदी नकल खाता संख्या 100 नया जमाबंदी नकल खाता संख्या 67 नकल नक्शा ट्रेस संवत 2045 नकल नक्शा ट्रेस संवत 2000 नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2052–2071 नकल जमाबंदी संवत 2019 खतौनी संख्या 01 नकल जमाबंदी संवत 2012 नकल जमाबंदी खतौनी संख्या 82 संवत 2012 खसरा गिरदावरी संवत 2012, संवत 2013 से 2020 साक्ष्य शपथ जयसिंह पुत्र कंवरपाल गुर्जर निवासी बाढ बगीची निरोतीलाल पुत्र भैरू बैरवा रामनगर कॉलोनी बाढबगीची पेश किया।

प्रतिवादीगण 1,2,3,4 द्वारा जबाब दावा की ताईद में कोई दस्तावेजात साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये प्रतिवादी वकील को साक्ष्यवादी जिरह हेतु साक्ष्य प्रतिवादी प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी नहीं पेश किये, तथा आदेशिका 1.04.2021 के प्रतिवादीगण वकील न तो अदालत हाजा उपस्थित आये न ही प्रतिवादीगण उपस्थित आये तदुपरान्त साक्ष्य प्रतिवादीगण वकील जिरह नहीं की गयी तथा प्रतिवादीगण वकील/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा प्रकरण बहस में नियत किया गया।

वादीगण वकील की बहस सुनी गई वादी वकील द्वारा बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया तथा वादग्रस्त भूमि मुताबिक जमाबंदी संवत 2012 के अनुसार तत्कालीन ख.नं. 185 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, ख.नं. 186/1 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा किता 2 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा स्थित ग्राम बाढ बगीची के काबिज काश्तकार खातेदार है। तथा उपरोक्त भूमि के हाल ख.नं. 559,542 से 545 किता 5 रकबा 1.22 है0 है। वादीगण पिता कंवरा छाबडी का कब्जा काश्त संवत 2012 में खातेदार दर्ज है। प्रतिवादीगण 1,2 के स्व0 पिता यादवचंद व प्रतिवादी नं. 3,4 ने साठ–गाठ कर वादीगण पिता की खातेदारी भूमि को अपने नाम दर्ज करा लिया उपरोक्त तथ्य दस्तावेज जमाबंदी प्रदर्श–12 के प्रमाणित है। प्रचलित कानून एवं न्याय के मापदण्डों के अनुसार पूर्व से दर्ज खातेदारी के इन्द्राज को बिना सक्षम अदालत से निर्णय करवाये विलोपित नहीं किया जा सकता न ही हटाया जा सकता इन्द्राजात दुरूस्ती कर वादीगण नाम खातेदारी इन्द्राज करावें।

हमने वादीगण वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि बाबत उदघोषणा इस्तकरार हक हुक्म इम्तनाई दवामी में वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं साक्ष्य वादीगण तथा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जबाब वाद पत्रों में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया, वकील वादी बहस पर मनन किया, नकल जमाबंदी संवत 2012 प्रदर्श 12 दस्तावेजात में साविक ख.नं. 186/1 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा वादीगण पिता कंवरा गुर्जर छाबडी के नाम दर्ज होना एवं मिलान क्षेत्रफल 2052.71 के वर्तमान ख.नं. 542/0.36,543/0.17, 544/0.05, 545/0.20 किता 4 रकबा 0.78 है0 दर्ज होना प्रकट है, उपरोक्त नवीन खसरा नं. वर्तमान

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

जमाबंदी संवत 2068–71 के खाता संख्या नया 48 पुराना 39 में प्रतिवादी बसी पुत्र कोरया,हरगोविन्द पुत्र कोरया जाति गुर्जर सा0 श्यामावास कलाँ एवं ख.नं. 542,543,544,545 प्रतिवादी 1,2 महेन्द्र कुमार, हरिशचंद पिता यादवचंद जाति क्षत्रीय सा.देह के नाम दर्ज है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में अंकित कथन बाबत प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्श 1,2,3 जमाबंदी संवत 2068–71 एवं प्रदर्श 6,7,8 मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 1,12 जमाबंदी खतौनी संवत 2012 एवं प्रदर्श 13 खसरा गिरदावरी के वादग्रस्त भूमि वादीगण पिता के नाम दर्ज होना एवं काबिज काश्तकार होना प्रकट है इस तरह उपरोक्त दस्तावेजात के वादग्रस्त भूमि वादीगण पिता कंवरा गुर्जर छाबडी की कब्जा काश्त खातेदारी भूमि दर्ज थी जिस पर आज तक काबिज काश्त है। लेकिन प्रतिवादीगण के नाम बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेशों के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गई जिसका परिवर्तन बाबत रिकॉर्ड में कोई कारण अंकित नहीं है।

यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि प्रतिवादीगण द्वारा अपने जबाबवाद में वादग्रस्त भूमि कब्जेकाश्त खातेदारी भूमि होना अंकित किया है। यह बात सही है कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। जो जमाबंदी संवत 2068–71 के खाता सं. 43–21, 67–56 के प्रमाणित है। यहाँ यह भी सही है कि संवत 2012 जमाबंदी मे वादग्रस्त भूमि वादीगण पिता कंवरा गुर्जर छाबडी के नाम दर्ज है जो वर्तमान रिकॉर्ड में बिना किसी सक्षम अदालत निर्णय के प्रतिवादीगण नाम दर्ज हो रही है। इस बाबत प्रतिवादीगण द्वारा कोई दस्तावेजात साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये मात्र प्रतिवादीके जबाब वाद पत्र में अंकित तथ्यों को सत्य नहीं माना जा सकता, जबाब दावा में अंकित कथनों की सत्यता प्रमाणित करने का दायित्व प्रतिवादीगण को ही है। जो जबाब वाद अभिकथनों को प्रमाणित करने में असफल रहे है। उपरोक्त विवेचन से वादीवाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार कर डिकी किया जाना एवं शेष प्रतिवादीगण 3,4 के विरूद्ध वादीगण वाद प्रमाणित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि वादीगण वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण 1,2 उदघोषणा इस्तकरार हक एवं हुक्म इम्तनाई दवामी स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है तथा प्रतिवादीगण 3,4 के विरूद्ध चाही गई इस्तदुआ वादीगण द्वारा प्रमाणित नहीं किये जाने से अस्वीकार की जाती है। ग्राम बाढ बगीची तह0 बसवा जिला दौसा ख.नं. 542 रकबा 0.36 ख.नं. 543 0.17, ख.नं. 544 रकबा 0.05,ख.नं. 545 रकबा 0.20 है0 में दर्ज महेंन्द्र कुमार, हरिशचंद्र पि0 यादवचंद जाति क्षत्रिय सा0 देह खातेदार का नाम हजफ किया जाता है तथा वादीगण शिवचरण सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह जाति गुर्जर, मीरा देवी पुत्री लक्ष्मण सिंह पत्नी सीताराम गुर्जर निवासी पीपली का बास तह0 बसवा ,अनिता देवी पुत्री लक्ष्मण सिंह पत्नी बनाराम गुर्जर निवासी पीपली का बास तह0 बसवा, जिला दौसा को हिस्सा 1/2 एवं जयसिंह पुत्र कंवरपाल जाति गुर्जर निवासी बाढ बगीची तह. बसवा जिला दौसा को हिस्सा 1/2 खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । एवं प्रतिवादीगण संख्या 1,2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वे वादीगण की खातेदारी भूमि में दखलअंदाजी नहीं करे। डिकी पर्चा जारी हो, तदनुसार तहसीलदार बसवा नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। तहसीलदार बसवा को तहरीर जारी हो।

निर्णय सुनाया गया।

(नीरज कुमार मीणा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner